रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 539] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1981/अग्रहायण 12, 1903
No. 539] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1981/AGRAHAYANA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1981

का० आ० 880(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकास परिषद् (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम, 1952 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा 30 की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्थापित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान पर या उस के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो की आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगें, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकास परिषद् (प्रक्रिया सम्बन्धी) दूसरा संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विकास परिषद् (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) 'अध्यक्ष' से इन नियमों के अधीन नियुक्त या निर्वाचित किया गया कोई अध्यक्ष अभिप्रेत है ;"

(2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 'सदस्य-सचिव' से किसी विकास परिषद् के सचिव के कृत्यों को करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है;" और

(3) खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. सदस्यों की संख्या—प्रत्येक परिषद् में पच्चीस से अनधिक सदस्य होंगें, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष और सचिव-सदस्य भी हैं,"

4. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. अध्यक्ष (1) किसी परिषद् का पहला अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा उस परिषद् के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा और अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और तत्पश्चात् अध्यक्ष या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम

निर्देशित किया जाएगा या उस परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा जैसा भी प्रत्येक अवसर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए,

(2) अध्यक्ष, भारत सरकार के, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के सचिव को सम्बन्धित पत्र द्वारा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध विकास परिषद् के सदस्य सचिव को भेज कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(3) अध्यक्ष, के पद से ऐसे त्यागपत्र देने से हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् के किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष उतने समय तक पद धारण करेगा जितने समय तक वह अध्यक्ष जिसका स्थान वह भरता है, यदि उसने त्यागपत्र न दिया होता तो पद धारण करने का हकदार होता।" ।

5. उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (2) और उपनियम (4) में, "अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 12 में, —

(i) उपनियम (1) में, "अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपनियम (3) में, "या उपाध्यक्ष को, जहां बैठक की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष कर रहा है" शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 13 में, —

(i) उप नियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"(1) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे ;"

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और परिषद् द्वारा विनिश्चय किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।" ।

8. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) में "या उपाध्यक्ष" शब्दों का जहां कहीं भी वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं० का० नि० आ० 359 तारीख 19 फरवरी, 1953 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, 1953 भाग 2, खण्ड 3, तारीख 19 सितम्बर, 1953 पृष्ठ 467 से 469 पर प्रकाशित किए गए थे।

उसके पश्चात् अधिसूचना सं० का० आ० 42(अ) तारीख 21 जनवरी, 1981 द्वारा उनका संशोधन किया गया देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, 1981 भाग 2, खण्ड 3(ii) तारीख 21 जनवरी, 1981, पृष्ठ 94 और 95।

[फा० सं० 1/1/81-एल० पी०]

एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1981

S.O. 880(E).—The following draft of certain rules further to amend the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 30, read with sub-section (2) of section 6, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), are hereby published as required by sub-section (1) of the said section 30, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These Rules may be called the Development Councils (Procedural) Second Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

'(a) "Chairman" means a Chairman appointed or elected under these rules ;'

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

'(c) "Member-Secretary" means the officer appointed by the Central Government to carry on the functions of the Secretary to a Development Council;' and

(iii) clause (e) shall be omitted.

3. For rule 3 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Number of members.—Every Council shall consist of not more than twenty five members including the Chairman and the Member-Secretary.".

4. For rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Chairman.—(1) The first Chairman of a Council shall be appointed by the Central Government from amongst the members of that Council and shall hold office for a period of two years from the date of his appointment, and thereafter the Chairman shall be either nominated by the Central Government or elected by members of that Council as may be decided by the Central Government on each occasion.

(2) The Chairman may resign his office by a letter addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Industry (Department of Industrial Development) with a copy endorsed to the Member-Secretary to the Development Council concerned.

(3) The vacancy caused in the office of the Chairman by such resignation shall be filled by appointment by the Central Government of another member of the Council as Chairman, and the Chairman so appointed shall hold office for so long as the Chairman whose place he fills would have been entitled to hold the office, had he not resigned.".

5. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (2) and sub-rule (4), for the words "the Chairman or, in the absence of the Chairman, Vice-Chairman", wherever they occur, the word "Chairman" shall be substituted.

6. In rule 12 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), for the words "Chairman or, in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman", the word "Chairman" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), the words "or where the Vice-Chairman is presiding over the meeting, of the Vice-Chairman" shall be omitted.

7. In rule 13 of the said rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman shall preside over the meetings of a Council and in his absence the members present shall elect a Chairman from amongst themselves.";

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) Each member of a Council shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be decided by a Council, the Chairman or the member presiding shall have a casting vote.".

8. In rule 15 of the said rules, in sub-rule (1), the words "or Vice-Chairman", wherever they occur, shall be omitted.

Note :—Principal rules published vide notification No. S.R.O. 359, dated the 19th February, 1953, Gazette of India, Extraordinary, 1953, Part II-Section 3, dated the 19th September, 1953, pages 467-469.

Subsequently amended by notification No. S.O. 42(E), dated the 21st January, 1981, Gazette of India, Extraordinary, 1981, Part-II-Section 3(ii), dated the 21st January, 1981 pages 94 and 95.

[F. No. 1/1/81-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981